भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2821
10 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: **कृषि भूमि**
2821. श्री अब्दुल रशीद शेखः
क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कृषि भूमि को संरक्षित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और
(ख) जम्मू-कश्मीर में कार्यान्वित की जा रही फसल बीमा योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की द्वितीय सूची (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 18 के अनुसार, भूमि और कृषि राज्य के विषय हैं जिसके अधीन भूमि राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आती है जो कृषि योग्य क्षेत्र बढ़ाने और कृषि भूमि का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करने हेतु उत्तरदायी हैं। हालांकि, भारत सरकार नीतिगत पहलों और बजटीय सहायता के माध्यम से इन प्रयासों का समर्थन करती है।

भूमि संसाधन विभाग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के वाटरशैड विकास घटक का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य वर्षा सिंचित/क्षरित भूमि का विकास करना है। इस योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों में रिज एरिया ट्रीटमेंट, जल निकासी व्यवस्था का ट्रीटमेंट, मिट्टी एवं नमी संरक्षण, वर्षा जल संचयन, पौध संवर्धन, चारागाह विकास, संपत्तिहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका आदि शामिल हैं। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के अंतर्गत उठाए गए कदम सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में वृद्धि करने के प्रयासों को बल देते हैं। इस योजना को सरकार ने दिनांक 15 दिसंबर, 2021 को मंजूरी दे दी थी।

इसके अतिरिक्त, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने कृषि योग्य क्षेत्र बढ़ाने के लिए कई तकनीकी उपाय विकसित किए हैं। इनमें वर्षा जल के बहाव से होने वाले मृदा अपरदन को रोकने के लिए स्थान-विशिष्ट बायो-इंजीनियरिंग, रेत के टीलों का स्थिरीकरण और वायु अपरदन को रोकने के लिए शेल्टर बेल्ट प्रौद्योगिकी तथा देश की समस्याग्रस्त मिट्टी के लिए सुधार तकनीक शामिल हैं। आईसीएआर ने जिप्सम प्रौद्योगिकी पैकेज भी विकसित किया है, जिसमें भूमि समतलीकरण, मेड़बंदी, जल निकासी, अतिरिक्त पानी की निकासी, अच्छी गुणवत्ता वाला सिंचाई जल, सुधारों का कार्यान्विय, फसलों का चयन और कुशल पोषक तत्व प्रबंधन शामिल है।

(ख): सरकार ने खरीफ 2016 से उपज आधारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और मौसम सूचकांक के आधार पर पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) प्रारंभ की है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम की घटनाओं से फसल की हानि/क्षति से प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और किसानों की आय को स्थिर करना है। इस योजना के अंतर्गत बुआई पूर्व से लेकर फसलोपरांत तक की क्षति के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान किया जाता है। यह योजना राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रों के साथ-साथ किसानों के लिए भी स्वैच्छिक है। सभी इच्छुक किसान इस योजना में पंजीकरण करा सकते हैं। संघ राज्य-क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर इस योजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

देश भर के किसानों से बहुत कम प्रीमियम लिया जाता है जो खरीफ फसलों के लिए बीमा राशि का अधिकतम 2%, रबी फसलों के लिए बीमा राशि का अधिकतम 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए बीमा राशि का अधिकतम 5% है। शेष बीमा प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में साझा किया जाता है, सिवाय पूर्वोत्तर राज्यों (खरीफ 2020 से) और हिमालयी राज्यों (खरीफ 2023 से), जिनमें जम्मू-कश्मीर भी शामिल है, जहां यह 90:10 के अनुपात में साझा किया जाता है।

पीएमएफबीवाई के अंतर्गत, जम्मू-कश्मीर में योजना की शुरुआत से लेकर खरीफ-2025 सीजन तक (दिनांक 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार) समग्र रूप से 11.6 लाख किसान आवेदनों का पंजीकरण किया गया है और 2.8 लाख किसान आवेदकों को 166.7 करोड़ रुपये के कुल दावों का भुगतान किया गया है।

*****